**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2074**
दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

## शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा

2074 **श्री राजीव शुक्ला**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों से हाल ही में विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण तथा अन्य प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं पर की गई रिपोर्ट का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु क्या-क्या उपाए किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का विचार पोक्सो अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन को मजबूत करने का है, जिसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग, जागरूकता कार्यक्रम और संस्थागत जवाबदेही शामिल है; और
(घ) विगत दो वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों तथा संचालित जागरूकता अभियानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) और (ख)**: सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसइएल) ने विद्यालय सुरक्षा एंव संरक्षण संबंधी दिशानिर्देश (01.10.2021)

जारी किए हैं, जिन्हें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, डीओएसइएल के स्वायत्त निकायों तथा संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किया गया है। ये दिशानिर्देश डीओएसइएल की वेबसाइट https://www.dsel education.gov.in/static/uploads/2025/09/c0a04336ba662a93824b825a707bab5a.pdf पर उपलब्ध हैं।

ये दिशानिर्देश विद्यालय इसमें प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करते हैं, 'शून्य सहनशीलता नीति' अपनाते हैं, और शारीरिक, सामाजिक-भावनात्मक तथा संज्ञानात्मक सुरक्षा, जागरूकता/संवेदनशीलता, विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिकाओं तथा रिपोर्टिंग और सहायता/परामर्श और सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट की प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं; परामर्शात्मक प्रकृति के होने के कारण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकता के अनुसार इन्हें अपनाएँ।

समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने हेतु विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर एक पुस्तिका (2019) तथा उपर्युक्त 2021 के दिशानिर्देश प्रसारित किए हैं, और एक शिकायत निवारण तंत्र संचालित करता है, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन/ऑफ़लाइन प्राप्त शिकायतों की जाँच की जाती है तथा उन्हें संबंधित राज्य एवं जिला प्राधिकरणों को अग्रेषित किया जाता है और अनुस्मारकों, अनुवर्ती कार्रवाई एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है।

**(ग):** बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एक लैंगिक-तटस्थ कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो प्रत्येक बच्चे—जिसे धारा 2(1)(घ) के तहत अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है—को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण संबंधी उत्पीड़न एंव अश्लील सामग्री से संरक्षण प्रदान करता है। सरकार निम्नानुसार इसके कार्यान्वयन को निरंतर सुदृढ़ करना जारी रखती है:

(i). अनिवार्य रिपोर्टिंग: धारा 19 प्रत्येक के तहत स्कूल अधिकारियों सहित व्यक्ति, को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा गया है: विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या स्थानीय पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है; धारा 21 रिपोर्ट न करने पर दंड का प्रावधान करती है, और यदि संबंधित व्यक्ति किसी संस्था का प्रभारी है, तो अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल विभाग द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि यौन शोषण के मामलों में धारा 19 और 21 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए तथा प्रत्येक विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष

में बाल यौन शोषण संबंधी शिकायत समिति का गठन करे। अनुपालन, समय पर एफआईआर दर्ज करने और बाल संरक्षण संस्थानों को अग्रेषित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से परामर्श जारी किए जाते हैं।

(ii). बाल-अनुकूल जाँच एवं सुनवाई : सुरक्षा उपायों में बच्चे के बयान को बच्चे की पसंद के स्थान पर दर्ज करना (धारा 24), माता-पिता/विश्वसनीय व्यक्ति की उपस्थिति में चिकित्सीय परीक्षण (धारा 27), नामित विशेष न्यायालयों द्वारा इन-कैमरा कार्यवाही के साथ सुनवाई (धारा 37), जिसमें बच्चा अभियुक्त को न देखे (धारा 36), तथा सुनवाई के दौरान बाल-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना (धारा 33) शामिल हैं। धारा 35 के अनुसार संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर साक्ष्य दर्ज करना और एक वर्ष के भीतर मुकदमे की सुनवाई करना अनिवार्य है; सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से मामलों का  शीघ्र निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) को सहायता करती है।

(iii). पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास: पॉक्सो नियम, 2020, बाल पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र को क्रियान्वित करते हैं। नियम 4, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से देखरेख और संरक्षण का प्रावधान करता है; नियम 5, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायता व्यक्तियों का प्रावधान करता है; नियम 6, आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करता है; और नियम 9, विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम मुआवज़े का प्रावधान करता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा 30 दिनों के भीतर किया जाना है। धारा 39 के अंतर्गत एनसीपीसीआर के 2024 के मॉडल दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग से लेकर जाँच, मुकदमे की सुनवाई, मुआवज़े तथा बच्चे के पुनर्वास/समाज में वापस लाने के लिए सहायता व्यक्तियों की भूमिका का विस्तृत विवरण देते हैं।

(iv). संस्थागत जवाबदेही: एनसीपीसीआर, पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 12 के तहत कार्यान्वयन की निगरानी करता है, और तत्समय(रियल टाईम) में, जीवन-चक्र मामले की ट्रैकिंग (रिपोर्टिंग, व्यक्तिगत देखभाल योजनाएँ, एफआईआर/चिकित्सीय विवरण, कल्याणकारी योजनाओं से मैपिंग, सहायता व्यक्ति आवंटन, निःशुल्क कानूनी सहायता) के लिए पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल संचालित करता है, साथ ही पॉक्सो ई-बॉक्स भी संचालित करता है, जो बच्चों या उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति को यौन शोषण की घटनाओं की सीधे ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

(v). क्षमता निर्माण: अधिनियम के तहत बाल अनुकूल प्रकियाओं और वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालय प्राधिकरणों, पुलिस कर्मियों, एसजेपीयू, बाल

कल्याण समितियों तथा अन्य हितधारकों का संवेदीकरण अभिमुखी कार्यक्रमों,प्रशिक्षण मॉड्यूलों और आईईसी सामग्रियों के माध्यम से जारी रहता है।

**(घ):** केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन तथा जमीनी स्तर पर जागरूकता और क्षमता-विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता प्रदान की जाती है; मंत्रालय हितधारकों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन तथा संवेदनशीलता/प्रचार-प्रसार कार्यशालाएँ भी आयोजित करता है। एनसीपीसीआर, पॉक्सो अधिनियम सहित बाल-केंद्रित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सम्मेलन, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा डिजिटल जन पहुंच(आउटरीच) और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2025-26 में, 202 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 30 कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए । इसके अतिरिक्त, केंद्रीय और राज्य सरकारों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता हेतु आईईसी सामग्री तैयार की गई। पिछले दो वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य एवं सघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

**अनुलग्नक**

**पिछले दो वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्यों और सघ राज्य क्षेत्र- - वार जारी की गई निधियों का विवरण**

**(करोड़ रुपए में)**

| क्रम सं | राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | वर्ष 2024-25 में जारी की गई निधि | वर्ष 2025-26 में जारी की गई निधि |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 44.03 | 38.72 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 5.32 | 7.74 |
| 3 | असम | 31.39 | 29.61 |
| 4 | बिहार | 53.35 | 51.95 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 39.10 | 28.79 |
| 6 | गोवा | 5.14 | 3.07 |
| 7 | गुजरात | 19.50 | 2.49 |
| 8 | हरियाणा | 6.40 | 7.85 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 37.68 | 22.56 |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | 44.75 | 33.79 |
| 11 | झारखंड | 18.73 | 29.76 |
| 12 | कर्नाटक | 86.48 | 45.48 |
| 13 | केरल | 12.03 | 13.80 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 117.24 | 61.82 |
| 15 | महाराष्ट्र | 144.97 | 78.90 |
| 16 | मणिपुर | 68.15 | 34.36 |
| 17 | मेघालय | 22.30 | 42.75 |
| 18 | मिजोरम | 37.06 | 33.65 |

| क्रम सं | राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | वर्ष 2024-25 में जारी की गई निधि | वर्ष 2025-26 में जारी की गई निधि |
|---|---|---|---|
| 19 | नागालैंड | 33.92 | 28.36 |
| 20 | उड़ीसा | 68.83 | 51.92 |
| 21 | पंजाब | 14.76 | 13.94 |
| 22 | राजस्थान | 74.98 | 30.43 |
| 23 | सिक्किम | 16.21 | 8.51 |
| 24 | तमिलनाडु | 122.82 | 89.14 |
| 25 | तेलंगाना | 36.97 | 27.26 |
| 26 | त्रिपुरा | 19.23 | 18.11 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 92.05 | 107.15 |
| 28 | उत्तराखंड | 14.49 | 20.14 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 70.18 | 47.50 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप | 3.13 | 3.60 |
| 31 | चंडीगढ़ | 7.63 | 4.90 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 9.91 | 2.89 |
| 33 | दिल्ली | 7.62 | 6.63 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.09 |
| 35 | लद्दाख | 3.81 | 3.20 |
| 36 | पुदेदुचेरी | 4.17 | 3.21 |

****